



भारत का राजपत्र

The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 318] नई दिल्ली, सोमवार, जुलाई 24, 1995/श्रावण 2, 1917
No. 318] NEW DELHI, MONDAY, JULY 24, 1995/SRAVANA 2, 1917

मानव संसाधन विकास मंत्रालय
(महिला और बाल विकास विभाग)

प्रधिसूचना

नई दिल्ली, 24 जुलाई, 1995

सा.का.नि. 562(अ).—केन्द्रीय सरकार, शिशु दुर्घट अनुकल्प पोषण बोतलं और शिशु खाद्य (उत्पादन प्रदाय और वितरण विनियम) अधिनियम, 1992 (1992 का 41) की धारा 21 की उपधारा (1) के खण्ड (ग) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, उक्त धारा के अधीन लिखित रूप में गिकायत करने के लिए बाल कल्याण और विकास तथा बाल पोषाहार में लगे निम्नलिखित स्वैच्छिक संगठन को प्राधिकृत करती है, अर्थात्:—

ब्रैस्टफ़ालिडिंग प्रमोशन नेटवर्क ऑफ इंडिया (बी पी एन आई)
बी पी-33, पीटमपुरा, दिल्ली-34

और उक्त प्रयोजन के लिए भारत सरकार के मानव संसाधन विकास भवालय (महिला और बाल विकास विभाग) की अधिसूचना सं. सा. का. नि. 540(अ), तारीख 27 जून, 1994 में निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात् :—

उक्त अधिसूचना में, क्रम सं. 3 और उससे संबंधित प्रविष्टि के पश्चात् निम्नलिखित क्रम संख्यांक और प्रविष्टि जोड़ी जाएगी, अर्थात् :—

“4. ब्रैस्टफीडिंग प्रमोशन नेटवर्क ऑफ इंडिया (बी. पी. एन. आई) बी. पी.-33 पीतमपुरा, दिल्ली-34।”

[का. सं. 12-9/94 एन टी
बी. सैन, संयुक्त सचिव]

MINISTRY OF HUMAN RESOURCE DEVELOPMENT
(Department of Women and Child Development)
NOTIFICATION

New Delhi, the 24th July, 1995

G.S.R. 562(E).—In exercise of the powers conferred by clause (c) of Sub-Section (1) of Section 21 of the Infant Milk Substitutes, Feeding Bottles and Infant Foods (Regulation of Production, Supply and Distribution) Act, 1992 (41 of 1992), the Central Government hereby authorises the following voluntary organisation engaged in the field of child welfare and development and child nutrition to make a complaint in writing under the said section, namely :—

Breastfeeding Promotion Network of India (BPNI),
BP-33, Pitampura, Delhi-34.

and for the said purpose makes the following amendment in the notification of the Government of India in the Ministry of Human Resource Development (Department of Women and Child Development) G.S.R. 540(E), dated the 27th June, 1994, namely :—

In the said notification, after serial No. 3 and the entry relating thereto, the following serial number and entry shall be added, namely :—

“4. Breastfeeding Promotion Network of India (BPNI),
BP-33, Pitampura, Delhi-34.”

[F. No. 12-9/94-NT]
B. SEN, Jt. Secy.



भारत का दूसरा पत्रिका The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

270] नई दिल्ली, मंगलवार, जून 28, 1994/व्रेष्ट 7, 1916
270] NEW DELHI, TUESDAY JUNE 28, 1994/MASTUA 7, 1916

मानव समावन—विकास मंत्रालय

(महिला और बाल विकास विभाग)

धर्यमूलना

नई दिल्ली, 27 जून, 1994

सा.का.नि. 540(अ).—निम्नोंका मालिक, जो [२५ जून ग्रन्तकाल्य, पोषण बोतल और
शिशु खाद्य (उत्पादन, प्रदाय और वितरण समितियाँ) प्रबन्धनाम, 1992 (1992 का 41)
की धारा 21 की आधारा (1) के अन्त (ग) द्वारा निर्दिष्ट वार्ताएँ का प्रयोग करते हुए, उक्त

धारा के अधीन विभिन्न रूपों में विकास करने के लिए बाल कल्याण और विकास तथा बाल प्रभावशाल के द्वारा में जन कृषि विनियोग स्वयंचिक संगठनों को प्राधिकृत करती है, अर्थात् :—

1. कैल्याण विनियोग कल्याण बोर्ड,
सनोज नगर कॉम्पलक्ष्मी,
वी-12, तारा क्रैमर, इलोट्टायनल परिया,
साउथ बाल आर्ड आई टी, नई दिल्ली-110016
2. भारतीय बाल कल्याण परिषद्,
4, दीप देवी जपथाय मार्ग,
नई दिल्ली-1100021
3. एसोसिएशन ऑफ इन्फूंसर एक्सप्रेस ग्राह सेवी एंड हेल्थ
(एसी एएस एच),
कमरा सं. 21, लायर चैम्बर,
बार एस, गारा मार्ग,
मुम्बई-400002

[फा. सं. 12-1/93-एन.टी.]
मीनाक्षी आनन्द चौधरी, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF HUMAN RESOURCE DEVELOPMENT

(Department of Women and Child Development)

NOTIFICATION

New Delhi, the 27th June, 1994

G.S.R. 540(E).—In exercise of the powers conferred by clause (c) of sub-section (1) of Section 21 of the Infant Milk Substitutes, Feeding Bottles and Infant Foods (Regulation of Production, Supply and Distribution) Act, 1992 (41 of 1992), the Central Government hereby authorises the following voluntary organisations engaged in the field of child welfare and development and child nutrition to file a complaint in writing under the said section, namely :—

1. Central Social Welfare Board
Samaj Kalyan Bhawan,
B-12, Tara Crescent, Institutional Area,
South of HT, New Delhi-110016.

2. Indian Council for Child Welfare,
4, Deen Dayal Upadhyaya Marg,
New Delhi-110002.
3. Association for Consumer Action on Safety and Health (ACASH),
Room No. 21, Lawyer's Chambers,
R. S. Sapra Marg,
Bombay-400002.

[F. No. 12-1/93-NT]

MEENAXI ANAND C IAUDHRY, Jt. Secy.

Printed by the Manager, Govt. of India Press, Ring Road, Maya Pur, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054, 1994